लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
054/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/170)	04-08-2025	26-08-2025

अनवान

कमलेश पिता नन्दलाल धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ मोबाईल 6460003530

अपीलार्थी

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थीगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.03.2025 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./054/2025(सू.अ.)(26.08.2025)/481 दिनांक 04.08.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित लोक सूचना अधिकारीगण को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 26.08.2025 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्र क्रमांक /एडीएम/पीए/ लोसूअ/2025/130 दिनांक 14.08.2025, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से पत्र क्रमांक/आर.टी.आई./2025/433 दिनांक 20.08.2025 एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्र क्रमांक/सू0अ0/2025/122 दिनांक 20.08.2025 से बिन्दुवार टिप्पणी/ कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं, इसके साथ ही संबंधित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारीगण द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई हैं जो कि शामिल पत्रावली हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारीगण द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2025 जो कि दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त हुआ, जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/65 दिनांक 21.03.2025 को अन्तरित कर प्रार्थी/आवेदक को सूचित किया गया हैं, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अन्तरण अधिनियम 2005 के तहत प्रावधित विहित समयावधि में किया गया हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 11.03.2025 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता हैं।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2025 जो कि दिनांक 12.03.2025 को प्राप्त हुआ, जिसे लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को क्रमांक/आरटीआई/2025/148 दिनांक 17.03.2025 को अन्तरित कर प्रार्थी/आवेदक को सूचित किया गया हैं, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अन्तरण अधिनियम 2005 के तहत प्रावधित विहित समयावधि में किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 11.03.2025 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है।

प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से अधिनियम 2005 की धारा 6(03) के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2025 के क्रम में अपने पत्रांक/सू0अ0/2025/37 दिनांक 01.04.2025 से अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जाना अवगत कराया गया है, जो कि अधिनियम 2005 के तहत प्रावधित विहित समयावधि में अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 11.03.2025 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 11.03.2025 जो कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा को प्रस्तुत किये गये हैं बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा, सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार निम्बाहेडा एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.08.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official